तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुआ।
26/08/20	[illegible] उपस्थित। आज [illegible] राजकीय कार्यों में [illegible] अवकाश पर [illegible] दिनांक 10/9/20 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, [illegible]	
10.09.2020	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित ।	

अप्राथीगण संख्या 1से 6 के विरूद्ध दिनांक 30.09.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई एवं समायत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आश्य का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम लुण्डावास के खसरा नम्बर 222, 247, 248, 249, व 748 कुल किता 5 कुल रकबा 3.8100 हैक्टर व खसरा नम्बर 251, 252, 253 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9800 हैक्टर व खसरा नम्बर 105, 365 कुल किता 2 कुल रकबा 3.2600 हैक्टर आई हुई स्थित है। उक्त वादस्थ भूमि का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता सुरजमल के जीवनकाल मे ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 बालिग होने से इनके मध्य बंटवाडा कर दिया गया था। मौके पर बंटवाडा अनुसार पिछले 25 वर्षो से काबिज भी है। वर्ष 2018 में पारिवारिक मनमुटाव से अप्रार्थी संख्या 1 मोहन लाल व अप्रार्थी संख्या 5 शान्तिदेवी प्रार्थी से सख्त रंजिश रखते है। दिनांक 04.07.2019 को प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर सूड करने गया तब अप्रार्थी संख्या 01 व 5 माठो को लेकर व नाप चौप तथा बराबर बराबर हिस्सा को लेकर प्रार्थी से झगडा करने पर उतारू हो गये। जिससे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एव अपूर्णीय क्षति तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से वादस्थ भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग मेहन्दी कटाई अवराई में अप्रार्थीगण को दखलअन्दाजी करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादस्थ भूमि पुश्तैनी है तथा पिता के जीवन काल में ही प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बालीग होने से बंटवाडा कर दिया गया जिसमें पत्रावली में उपलब्ध नजरी नक्शे अनुसार हम काबिज है। नजरी नक्शे में दर्शित हरे रंग की भूमि में प्रार्थी के हिस्से में आने से प्रार्थी उस पर कृषि कार्य करता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 दोनो पारिवारिक मनमुटाव को लेकर आये दिन लडाई झगडा करते है तथा प्रार्थी मेहन्दी की फसल को खोदने, काटने, व अवराई करने इत्यादि कार्य करने में दखलअन्दाजी करते है जिससे तीनो बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होने से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया, बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः हरब प्रार्थना में वादस्थ भूमि मौके पर बंटवाडा पक्षकारों के मध्य होना बताया गया है किन्तु राजस्व रेकॉर्ड अनुसार वादस्थ भूमि अविभाजित है। मूल दावा बंटवाडा से संबंधित है, जिसमें प्रस्तुत वाद, जबाब दावा साक्ष्य सबूत शपथ पत्र दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत विवेचन/विश्लेषण पश्चत उभय पक्षो के हक अधिकारों का भी निविश्च किया जा सकेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में चूकि वादस्थ भूमि अविभाजित है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी मोके अपने अपने स्थान पर काबिज है जिससे उभय पक्षो को वाद निर्णय तक एक दुसरे के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा रोका जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है व अस्थाई निषेघाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय की जारी की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम लुण्डावास में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 05 की संयुक्त कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 222, 247, 248, 249, व 748 कुल किता 5 कुल रकबा 3.8100 हैक्टर व खसरा नम्बर 251, 252, 253 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9800 हैक्टर व खसरा नम्बर 105, 365 कुल किता 2 कुल रकबा 3.2600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को एक दुसरे के हक हिस्से में दखल अन्दाजी करने से मूल वाद के निस्तारण तक रोका जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पालना मूल वाद के साथ नत्थी है।

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलक्टर, सोजत

निर्णय आज दिनांक 10.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
सहायक कलक्टर, सोजत

Scanned with CamScanner